

राजस्थान सरकार  
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर, राजस्थान

GS-Pl. file  
original in RTE  
file  
17/14

क्रमांक : जिशिअ/प्राशि/जोधपुर/आरटीई/2014/JRT/W-43/12/68 दिनांक : 10.06.2014  
स्व घोषणा पत्र के आधार पर मान्यता अनुज्ञा पत्र

सचिव/अध्यक्ष,

हिजाईनस महाराजा हनवंतसिंह जी चेरीटेबल, ट्रस्ट,  
उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर

विषय :- नियम 8 ए के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के मान्यता अनुज्ञा प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

महोदय/महोदया,

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प-9(2) शिक्षा-5/05 पार्ट दिनांक 07.05.13 की अनुपालना में आपके द्वारा प्रस्तुत स्व घोषणा पत्र के आधार पर मान्यता अनुज्ञा पत्रविद्यालय के पत्र-व्यवहार/ निरीक्षण के संबंध में राजमाता कृष्णा कुमारी गर्ल्स पब्लिक स्कूल, राईका बाग जोधपुर अस्थाई मान्यता कक्षा प्रथम से कक्षा आठवी तक तीन वर्ष की अवधि 01.05.2014 से 30.04.2017 तक माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी में संचालन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

निम्नलिखित दशाओं की पूर्ति उपर्युक्त स्वीकृति के अधीन की जानी है:-


1. मान्यता की स्वीकृति कक्षा आठ से अधिक नहीं बढ़ाई जाती है।
2. विद्यालय द्वारा "बच्चों को शिक्षा के अधिकार" एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (केन्द्र की धारा 35/2009) एवं राजस्थान में बच्चों की मुफ्त शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा नियम 2011 के अधीन पालना की जायेगी।
3. धारा 2009 के विस्तार में विद्यालय द्वारा स्वीकार किया जायेगा कि कक्षा एक या कक्षा एक से पूर्व जैसा भी प्रकरण हो, कक्षा की समुचित संख्या में से कमजोर वर्ग के बच्चों और वंचित रहें समूह के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उनकी शिक्षा प्राप्ति तक दी जानी है।
4. अवतरण तीन में सन्दर्भित बच्चों को विद्यालय द्वारा राजस्थान में बच्चों की मुफ्त शिक्षा के अधिकार और अनिवार्य शिक्षा नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय द्वारा अलग से बैंक में खाता संधारित किया जायेगा।
5. संस्था/विद्यालय द्वारा कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क और बच्चों और माता-पिता का कोई साक्षात्कार (बच्चों के प्रवेश के लिए) नहीं लिया जायेगा।
6. विद्यालय किसी भी बच्चों की आयु संबंधी प्रमाण की कमी के आधार पर बच्चों के प्रवेश के लिए मना नहीं करेगा और अधिनियम 2009 की धारा 15 के प्रावधानों पर अडिग रहेगा। विद्यालय यकीन करेगा कि-
  - (i) किसी भी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने तक न तो किसी कक्षा में रोका जायेगा, न ही विद्यालय से बाहर किया जायेगा।
  - (ii) किसी भी बच्चों को न तो मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जायेगा और न ही शारीरिक रूप से सजा दी जायेगी।
  - (iii) किसी भी बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक उत्तीर्ण होने के लिए बोर्ड की परीक्षा निर्धारित नहीं की जायेगी।
  - (iv) प्रत्येक बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने पर, उसे पारितोषिक प्रमाण पत्र के रूप में राजस्थान में बच्चों के मुफ्त शिक्षा के अधिकार एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2011 की धारा 23 के प्रावधानों के अनुसार दिया जायेगा।
  - (v) अक्षयता/विशेष आवश्यकता वालों विद्यार्थियों को अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार सम्मिलित किया जायेगा।
  - (vi) अध्यापकों को न्यूनतम प्रशैक्षिक योग्यता अधिनियम 2009 की धारा 23 के उपनियम (1) पर निर्धारित 'द्वयरे' में नियुक्त दी जानी है।  
बर्तते कि वर्तमान अध्यापक जो अधिनियम 2009 की घोषणा तक न्यूनतम योग्यता धारित न हो तो वह कम से कम पाँच वर्ष की अवधि में योग्यता अधिनियम 2009 की धारा 23 के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण करेगा।
  - (vii) अधिनियम 2009 की धारा 24 के उपनियम (1) के अनुसार अध्यापक अपने कर्तव्य की पालना करेगा और
  - (viii) अध्यापक/अध्यापिका अपने आप को किसी भी निजी शिक्षण गतिविधियों में व्यस्त नहीं रखेगा।
7. विद्यालय उपर्युक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम पर अधारित पाठ्यवस्तु का अनुसरण करेगा।



PRINCIPAL

Rajmata Krishna Kumari Girls' Public School,  
Hanwant Vihar, Rai-Ka-Bagh,  
JODHPUR-342 006 (Raj.)

कृ०पू०उ०



Secretary

School Management Committee  
Rajmata Krishna Kumari Girls' Public School,  
Jodhpur (Raj.)

8. अधिनियम 2009 की धारा 19 के अनुरूप विद्यालय अपना स्तर और मापदण्ड कायम रखेगा। सुविधाएँ अन्तिम निरीक्षण के समय तक दी जाती हैं, जो इस प्रकार हैं:-

क्र०सं०	विवरण	पत्रावली संख्या
1	विद्यालय परिसर का क्षेत्र	संलग्न
2	कुल निर्मित क्षेत्र	संलग्न
3	खेलकूद के मैदान का क्षेत्र	संलग्न
4	कक्षा-कक्षा की संख्या	संलग्न
5	प्रधानाध्यापक मय भण्डार कक्षा	संलग्न
6	छात्र-छात्रों के लिए अलग शौचालय	संलग्न
7	पीने के पानी की सुविधा	संलग्न
8	मिड-डे-मिल भोजन पकाने की रसोई	संलग्न
9	व्यवधान रहित आवागमन	संलग्न
10	शिक्षण सिखलाई संबंधी उपकरणों/खेलकूद के उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता	संलग्न

- एक ही विद्यालय के नाम से विद्यालय के बाहर या अन्दर किसी भी प्रकार की अधिकृत प्रावधानों के खिलाफ (अनाधिकृत) कक्षाएँ नहीं चलाई जायेगी।
- विद्यालय भवन या अन्य निर्मित ढांचा या मैदान का शिक्षा के उद्देश्य के लिए प्रयोग और कौशल विकास के लिए प्रयोग किया जाना है।
- विद्यालय संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 (केन्द्र के अधिनियम 1860 की धारा 21), राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 (1958 की धारा 28) या एक सार्वजनिक न्यास जो कुछ समय के लिए कानूनन बनाई गई हो, के अधीन कार्य करेगा।
- विद्यालय किसी भी व्यक्तिगत/समूह या व्यक्तिगत संस्था या अन्य कोई व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।
- विद्यालय के लेखा-जोखा का अंकेक्षण किया जाना चाहिए और चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट द्वारा उचित लेखा सूची को नियमानुसार प्रमाणित करवाया जाना चाहिए। प्रत्येक प्रमाणित लेखा सूची की प्रति जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को प्रति वर्ष भिजवायी जानी चाहिए।
- आपके विद्यालय को निम्नलिखित मान्यता क्रमांक प्रदत्त किया जाता है। यह कृपया ध्यान में लाया जाए कि कार्यालय से किये गये प्रत्येक पत्र व्यवहार में भी इसका उल्लेख किया जाए।
- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचनाएँ संधारित रखेगा जो निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा समय समय पर मांगी जाती है। साथ ही, भारत सरकार/स्थानीय अधिकारियों के द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना करने की अवस्था में ही मान्यता दी जानी या रद्द की जानी निर्भर करती है।
- संस्था के पंजीकरण का नवीनीकरण अनिवार्यतः समय-समय पर किया जाना है।
- अन्य शर्तें संलग्नित प्रदर्श के अनुसार हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी  
प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर

क्रमांक : जिषिअ/प्राशि/जोधपुर/आरटीई/2014/JRT/W-43/12/68 दिनांक : 10.06.2014  
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ -

- श्रीमान निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- श्रीमान उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर मण्डल, जोधपुर।
- श्रीमान ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति जोधपुर।
- सचिव/ हिजाईनस महाराजा हनवंतसिंह जी चैरीटेबल, ट्रस्ट, उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर।
- कार्यालय पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी  
प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर

  
PRINCIPAL

Rajmata Krishna Kumari Girls' Public School,  
Hanwant Vihar, Rai-Ka-Bagh,  
JODHPUR-342 006 (Raj.)

  
Secretary  
School Management Committee

Rajmata Krishna Kumari Girls' Public School,  
Jodhpur (Raj.)

राजस्थान सरकार  
राज्यपालिका जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर, राजस्थान

क्रमांक: जोधपुर/शारी/जोधपुर/आरटी/2016/62

प्राप्त


दिनांक: 11/01/2016

.....  
.....  
.....

जोधपुर जिले के सभी मान्यता प्राप्त र.व. स्कूलों (निवि) विद्यालयों को 1 अप्रैल 2010 से पूर्व संतुलित है तथा उनके द्वारा स्वयंसेवा के आधार पर आरटीई मान्यता प्राप्त की गई थी व नियम 8 ए के उपनिबन्ध (4) के अन्तर्गत विद्यालय की संख्या 25000 प्रमाण के अन्तर्गत किया गया था परन्तु राज्य सौमा टीम एवं वर्यांटी गई थी उन सभी विद्यालयों को आरटीई की मान्यता स्वधोषणा के आधार पर निम्नर गानी 'गोपनी' पुनः स्वधोषणा प्रमाण 8 ए के अन्तर्गत नहीं है।



**PRINCIPAL**  
Rajmata Krishna Kumari Girls' Public School,  
Hanwant Vihar, Rai-Ka-Bagh,  
JODHPUR-342 006 (Raj.)



**Secretary**  
School Management Committee  
Rajmata Krishna Kumari Girls' Public School,  
Jodhpur (Raj.)